बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
★ सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
★ सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- ★ सआदत हसन मिन्टो
★ राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- ★ राजचन्द्र वार्डियार
★ अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- ★ चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- ★ विनोद आनन्द

पत्रांक : 70 दिनांक 17/12/2012

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
पटना, बिहार।

विषयः– **रुपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के 40 वीं, 41 वीं एवं 42 वीं बैच के पदाधिकारियों को योगदान की तिथि से 10 (दस) वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने की तिथि से प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड वेतन–6600 में स्वीकृत करने के संबंध में।**

प्रसंगः– संघ का पत्रांक–41 दिनांक–14.08.2012, पत्रांक–58 दिनांक–10.10.2012 एवं पत्रांक–62 दिनांक–06.11.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासांगिक पत्रों द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 40वीं, 41वीं एवं 42वीं बैच के पदाधिकारियों की सेवा अवधि वर्तमान में 10 वर्ष से अधिक पूर्ण होने के फलस्वरुप रुपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अर्न्तगत प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड वेतन–6600 में स्वीकृत करने का अनुरोध संघ द्वारा किया गया था एवं अन्य प्रीमियर सेवा यथा बिहार पुलिस सेवा एवं बिहार पशुपालन सेवा के पदाधिकारियों को समरुप परिस्थिति में उनके प्रशासी विभाग द्वारा प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड वेतन–6600 में स्वीकृत करने संबंधी आदेशों की प्रति भी संलग्न की गई थी। इसी अवधि में पुनः बिहार वित्त सेवा के 40वीं एवं 41वीं बैच के पदाधिकारियों को भी उनके प्रशासी विभाग द्वारा प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड वेतन–6600 में स्वीकृत कर दी गई है (आदेश की प्रति संलग्न)।

उक्त पत्रों के आलोक में विभाग द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की कोई जानकारी संघ को नहीं है। अस्तु अनुरोध होगा कि शीघ्रताशीघ्र 40वीं, 41वीं एवं 42वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 01.01.2009 एवं उसके बाद से 10वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने की तिथि से प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड वेतन–6600 में स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सुशील कुमार
महासचिव

ज्ञापांक– 70 पटना, दिनांक– 17/12/2012

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रासंगिक पत्रों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुशील कुमार
महासचिव